



परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था
(भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग का स्वायत्त निकाय)
ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY
(An Autonomous Body under Department of Atomic Energy, Govt. of India)

प.ऊ.शि.सं./ शै. इ./मि.4/प्रवेश/2026-27/ **1386**

AEES/AU/F4/ADMISSION/2026-27/

दिनांक/Date : 19.01.2026

प्रवेश परिपत्र - शैक्षणिक वर्ष 2026-27
Admission Circular - Academic Year 2026-27

इस परिपत्र में शामिल हैं/This circular comprises :

(A) प्रवेश के लिए दिशानिर्देश/ The guidelines for admission to -

1. डीएई वार्डों के लिए बालवाटिका-I से XII तक (अनुलग्नक क)
Balvatika-I to XII for DAE wards. (Annexure A)
2. बालवाटिका-I में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 के अंतर्गत। (अनुलग्नक ख)
Balvatika-I under Right to Education (RTE) Act 2009 (Annexure B)
3. गैर-डीएई वार्डों के लिए बालवाटिका -I से XII तक (अनुलग्नक ग)
Balvatika-I to XII for Non-DAE wards. (Annexure C)

(B) प्रवेश के लिए आवेदन पत्र/Application forms for admission to -

1. बालवाटिका -I से XII डीएई वार्डों के लिए
Balvatika-I to XII for DAE wards
2. आरटीई अधिनियम 2009 के तहत बालवाटिका -I में प्रवेश हेतु
Balvatika-I under RTE Act 2009
3. गैर-डीएई वार्डों (एनडी-1 से एनडी-4 श्रेणियां) के लिए बालवाटिका -I से XII तक प्रवेश हेतु
Balvatika-I to XII for Non-DAE wards (ND-1 to ND-4 categories)

नोट: प.ऊ.शि.सं. के बारे में सामान्य जानकारी के लिए कृपया प.ऊ.शि.सं. की वेबसाइट www.aees.gov.in पर जाएं। प्रवेश के लिए आवेदन पत्र के साथ यह सूचना पत्र वेबसाइट से भी देखी जा सकती है।

Note: Please visit AEES website www.aees.gov.in for general information about AEES. This information sheet with application form for admission can also be viewed from the website.



19.01.26

(ए के दुरेजा /A K Dureja)
सचिव/Secretary

प.ऊ.के.विद्यालयों/कनि. महाविद्यालयों के सभी प्रमुख/All Heads of AEC Schools/ Junior Colleges

प्रतिलिपि/Copy to:

1. अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं., मुंबई/Chairman, AEES, Mumbai
2. अध्यक्ष, स्था.प्र.स, प.ऊ.के.वि./कनि.महा./Chairman, LMC, AECS/JC
3. प्रधान कार्मिक प्रभाग, भा.प्र.अ.के. (व्यापक प्रचार देने के अनुरोध के साथ)/Head Personnel Division, BARC (with a request to give wide publicity)
4. कुलसचिव, टीआईएफआर, मुंबई-400005/Registrar, TIFR, Mumbai-400005
5. मु.प्र.अधि., भारी पानी बोर्ड कार्यालय, वी एस भवन, अनुशक्तिनगर, मुंबई-400094/CAO, HWB Office, V S Bhavan, Anushaktinagar, Mumbai-400094

6. मु.प्र.अधि., डीसीएस एवं ईएम, वी एस भवन, अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094/CAO, DCS & EM, V S Bhavan, Anushaktinagar, Mumbai-400094
 7. सीए एवं प्र.अधि, टीएमसी, परेल, मुंबई-400012/CA & AO, TMC, Parel, Mumbai-400012
 8. निदेशक, मुंबई विश्वविद्यालय - परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा मूलभूत विज्ञान में उल्कष्टता केंद्र, नालंदा, नैनो साइंसेज बिल्डिंग के सामने, मुंबई विश्वविद्यालय, विद्यानगर, मुंबई 400098/Director, UM-DAE Centre for Excellence in Basic Sciences, Nalanda, Opp. Nano Sciences Building, University of Mumbai, Vidyanagari, Mumbai 400098
 9. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प.ऊ.शि.सं., मुंबई/Chief Administrative Officer, AEES, Mumbai
 10. प्रधानाचार्य एवं प्रमुख, शै.इ., प.ऊ.शि.सं., मुंबई/Principal and Head, Academic Unit, AEES, Mumbai
 11. अवर सचिव, प्रशासन, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई-400001/Under Secretary, Administration, Department of Atomic Energy, Mumbai-400001
 12. प्रबंधक, कार्मिक, एनपीसीआईएल, अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094/Manager, Personnel, NPCIL, Anushaktinagar, Mumbai-400094
 13. प्र.अधि.-III, प.ऊ.शि.सं., मुंबई/AO-III, AEES, Mumbai
 14. प्रशासनिक अधिकारी, डीपीएस, वीएस भवन, अणुशक्तिनगर, मुंबई -400094/Administrative Officer, DPS, V S Bhavan, Anushaktinagar, Mumbai-400094
 15. प्रशासनिक अधिकारी, एचबीसीएसई, अणुशक्तिनगर, मुंबई -400094/Administrative Officer, HBCSE, Anushaktinagar, Mumbai-400094
 16. प्रशासनिक अधिकारी, बीआरआईटी, तुर्म, नवी मुंबई-400703/Administrative Officer, BRIT, Turbhe, Navi Mumbai-400703
 17. प्रशासनिक अधिकारी, ईआरबी, अणुशक्तिनगर, मुंबई -400094/Administrative Officer, AERB, Anushaktinagar, Mumbai-400094
 18. उप-प्रधानाचार्य एवं उप-प्रमुख, शैक्षणिक इकाई, प.ऊ.शि.सं., मुंबई/Vice-Principal and Deputy Head, Academic Unit, AEES, Mumbai
 19. वरि. लेखा अधिकारी, प.ऊ.शि.सं., मुंबई/ Sr. Accounts Officer, AEES, Mumbai
 20. सहा. लेखा अधिकारी, प.ऊ.शि.सं., मुंबई/Asst. Accts. Officer, AEES (Sal./Pen./Bills/PF), AEES, Mumbai
 21. सहा. प्र. अधिकारी, प.ऊ.शि.सं., मुंबई/Asst. Admn. Officer, AEES (R&V/E&L/Sal./Pen./Bills/PF), AEES, Mumbai
 22. डेटा प्रबंधन कक्ष, प.ऊ.शि.सं., मुंबई/ Data Management Cell, AEES, Mumbai
 23. मास्टर फाइल/Master File.
-

सत्र 2026-27 हेतु प.ऊ.वि.के कर्मचारियों के बच्चों के बालवाटिका-I से XII के लिए प्रवेश दिशानिर्देश**Guidelines for Admission to Balvatika-I to XII for DAE Wards for the Session - 2026-27****1) प्रवेश के लिए पात्रता/Eligibility for Admission:**

- I. परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) सचिवालय, उसकी घटक इकाइयों, परियोजनाओं, सहायता-प्राप्त संस्थानों तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के पूर्ण नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चे परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालयों एवं कनिष्ठ महाविद्यालयों में प्रवेश के पात्र होंगे। ऐसे सभी बच्चों को डीएई वार्ड (DAE Wards) माना जाएगा। डीएई अथवा उसकी घटक इकाइयों के किसी कर्मचारी के सेवा से त्यागपत्र देने या सेवा से हटाए जाने की स्थिति में, यदि वह अपने बच्चों की पढ़ाई प. ऊ. के विद्यालयों/कनिष्ठ महाविद्यालयों में जारी रखना चाहता / चाहती है तो सेवा समाप्ति की तिथि से गैर डीएई-वार्ड के लिए निर्धारित दरों के अनुसार शुल्क देय होगा।

Children of employees of the DAE Secretariat, Constituent Units, Projects, Aided Institutes, and Public Sector Undertakings under full control of Department of Atomic Energy (DAE) are eligible for admission in Atomic Energy Central Schools and Junior Colleges. All such children will be considered as DAE wards. In the event of resignation or removal of an employee of DAE or its Constituent Units from service, if the employee wishes to continue the education of his/her child(ren) in AEC Schools/Jr. Colleges, the applicable fees shall be charged at the rates prescribed for Non-DAE wards, with effect from the date of cessation of service.

- II. के. औ. सु. ब. के कर्मचारियों तथा अन्य ऐसे कर्मचारियों के बच्चों को, जिनके संबंध में प.ऊ.शि.सं./प.ऊ.वि. की विशिष्ट स्वीकृति उपलब्ध है, तब तक डीएई वार्ड के समान माना जाएगा, जब तक संबंधित कर्मचारी डीएई इकाइयों में कार्यरत है। ऐसे बच्चों से डीएई कर्मचारियों के बच्चों के समान ही शुल्क लिया जाएगा। यह छठ कर्मचारी के डीएई अथवा उसकी घटक इकाइयों से स्थानांतरण/पृथक्करण के साथ स्थायी रूप से समाप्त हो जाएगी। यदि सीआईएसएफ कर्मी डीएई अथवा उसकी घटक इकाइयों से स्थानांतरण के पश्चात अपने बच्चे/बच्चों का ईसीवी विद्यालयों/कनिष्ठ महाविद्यालयों में अध्ययन जारी रखना चाहता है, तो उससे गैर-डीएई वार्ड के लिए लागू शुल्क लिया जाएगा।

The admission to the wards of CISF employees and others for whom specific approval of AEES/DAE exists would be treated at par with DAE wards as long as the employee concerned continues to work in DAE units. The wards of such employees will be charged fee on par with the wards of DAE Employees. This concession shall cease once the employee leaves DAE or its Constituent Units. If the CISF personnel wish to continue the education of their ward(s) in AEC Schools/JC, after their transfer out of DAE or its constituent Units, fees applicable to Non-DAE wards shall be charged.

- III. डीएई कर्मचारियों के वे बच्चे, जिनके माता-पिता सेवानिवृत्त हो चुके हों, सेवा काल में दिवंगत हो गए हों अथवा सेवा के दौरान अयोग्य (Invalidated) घोषित किए गए हों, उन्हें भी प्रवेश हेतु डीएई वार्ड के समान माना जाएगा।

Children of DAE employees who have superannuated, expired while in service or have become invalidated during service shall be treated at par with DAE wards for admission.

- IV. प.ऊ.वि. की संपर्क इकाइयों में काम करने वाले खुफिया विभाग के कर्मचारियों के वार्डों के प्रवेश को डीएई वार्ड के समान माना जाएगा जब तक कि खुफिया विभाग के कर्मचारी प.ऊ.वि. की संपर्क इकाइयों में काम करना जारी रखता है। ऐसे कर्मचारियों के वार्डों पर डीएई कर्मचारियों के वार्डों के समान शुल्क लिया जाएगा। यह रियायत कर्मचारी द्वारा प.ऊ.वि. या इसकी घटक इकाइयों को छोड़ने के बाद समाप्त हो जाएगी। यदि कोई खुफिया विभाग कर्मचारी, प.ऊ.वि. इकाइयों से स्थानांतरण के बाद प.ऊ.शि.सं. के विद्यालयों में अपने वार्ड की शिक्षा जारी रखना चाहता है, तो उस कर्मचारी को गैर-डीएई वार्डों के लिए ली जाने वाली दर पर शुल्क का भुगतान करना होगा।

Admission to wards of Intelligence Bureau employees working in liaison units of DAE shall be treated at par with DAE ward as long as the IB employee continues to work in liaison units of DAE. The wards of such employees will be charged fee on par with the wards of DAE Employees. This concession shall cease once the employee leaves DAE or its Constituent Units. If an IB Employee after his/her transfer out of DAE Units wants to continue education of his or her ward(s) in the schools of AEES, the employee has to pay the fee at the rate charged for the Non-DAE Wards.

- V. प्रत्येक कक्षा अनुभाग में अधिकतम छात्र संख्या के लिए, सीबीएसई परिपत्र संख्या सीबीएसई/सीई/परिपत्र/2023 दिनांक 02.08.2023 और एन सी इ आर टी के दिशा निर्देश देखें।

For maximum student strength in each class, refer CBSE circular No. CBSE/CE/CIRCULAR/2023 dated 02.08.2023 and NCERT guidelines.

2) प्रवेश के लिए आयु मानदंड/Age Criteria for Admission:

विभिन्न कक्षाओं में प.ज़.शि.सं. में प्रवेश के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा नीचे दी गई है: (1 अप्रैल को जन्मे बच्चे को भी प्रवेश दिया जायेगा) |

Minimum and maximum age limit for admission to various classes in AEES are given below: (Child born on 1st April should also be considered.)

कक्षा/Class	31 मार्च, 2026 को न्यूनतम आयु Minimum age on 31 st March, 2026	31 मार्च, 2026 को अधिकतम आयु Maximum age on 31 st March, 2026
Balvatika-I	3 Years	4 Years
Balvatika-II	4 Years	5 Years
Balvatika-III	5 Years	6 Years
I	6 Years	8 Years
II	7 Years	9 Years
III	8 Years	10 Years
IV	9 Years	11 Years
V	9 Years	11 Years
VI	10 Years	12 Years
VII	11 Years	13 Years
VIII	12 Years	14 Years
IX	13 Years	15 Years
X	14 Years	16 Years
XI	15 Years	17 Years
XII	16 Years	18 Years

नोट- प्रधानाचार्य द्वारा दिव्यांग बच्चों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में दो साल की छूट दी जा सकती है।

Note- The maximum age limit can be relaxed by two years by the Principal in case of Differently abled Children.

3) प्रवेश के लिए आवेदन पत्र प्राप्त और जमा करने की प्रक्रिया :

Procedure for Obtaining & Submission of Application Forms for Admission:

प्रवेश के लिए आवेदन पत्र निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है:

The application form for admission may be obtained in either of the following ways:

- i) मुंबई के अलावा अन्य प. ऊ. के. विद्यालयों/कनिष्ठ महाविद्यालयों के लिए, प्रवेश आवेदन पत्र प.ज़.शि.सं. / विद्यालयों/कनिष्ठ महाविद्यालयों की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। विधिवत भरा हुआ फॉर्म और ₹100/- का आवेदन शुल्क प्रवेश हेतु निवास स्थान के अधिकार क्षेत्र के अनुसार प. ऊ. के. विद्यालयों/कनिष्ठ महाविद्यालयों में जमा करना होगा।

Application form for admission can be downloaded from the website of AEES/AEC Schools for admission in **AEC Schools other than Mumbai**. The duly filled in form along with an application fee of ₹100/- must be submitted to the AEC School/Jr. College as per the residential jurisdiction for grant of admission.

अथवा/OR

एसबी कलेक्ट के माध्यम से ₹ 100/- ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करके किसी भी प.ऊ.के.विद्यालयों/कनि. महाविद्यालय के कार्यालय से प्रवेश के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है। तत्पश्चात प्रवेश हेतु (बहु विद्यालय केंद्र के लिए) आवासीय क्षेत्राधिकार के अनुसार, विधिवत भरा हुआ फॉर्म तब संबंधित प.ऊ.के.विद्यालयों/कनि. महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य है।

Application form for admission can also be obtained from the office of any AEC School/ Jr. College by paying an application Fee of ₹100/- online through **SB Collect**. Thereafter, the duly filled in form must be submitted to the concerned AEC School/Jr. College as per the residential jurisdiction for grant of admission (for Multi-School Centre).

नोट: जो माता-पिता केंद्र के किसी भी प.ऊ.के.वि. के अधिकार क्षेत्र में नहीं रहते हैं, वे प्रवेश के लिए केंद्र के समन्वयक प.ऊ.के.विद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे। ऐसे मामलों में समन्वयक प्रधानाचार्य, स्थानीय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के परामर्श से केंद्र के विद्यालयों में रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार विद्यालय आवंटित करेंगे।

Note: The parents who do not reside within the jurisdiction of any AEC School or a Center, shall submit the application form for admission to the Coordinating AEC School of the Center. In such cases, the Coordinating Principal will allot school as per the availability of vacancies in schools of Center in consultation with the Chairman, LMC.

ii) मुंबई स्थित प. ऊ. के. विद्यालयों/कनिष्ठ महाविद्यालयों में डीएई कर्मचारियों के बच्चों के लिए प्रवेश प्रक्रिया:

Process of Admission to AEC Schools in Mumbai for Wards of DAE Employees:

- a) मुंबई में स्थित प. ऊ. के. विद्यालयों/कनिष्ठ महाविद्यालयों में डीएई कर्मचारियों के बच्चों के प्रवेश के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र का लिंक प.ऊ.शि.सं. की वेबसाइट (www.aees.gov.in) और मुंबई के सभी प. ऊ. के. विद्यालयों/कनिष्ठ महाविद्यालयों की वेबसाइटों पर उपलब्ध होगा। अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा, उसका प्रिंटआउट लेना होगा, संबंधित डीएई यूनिट के एओ-III/डीईओ/एपीओ से हस्ताक्षर करवाने होंगे और प्रवेश के लिए स्व-सत्यापितावश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित विद्यालय में जमा करना होगा।

The application form for admission to AEC Schools in Mumbai for wards of DAE employees will be made available online. The link to the online application form will be hosted on the AEES website (www.aees.gov.in) as well as on the websites of all AEC Schools in Mumbai. Parents are required to fill in the online application form, take a printout, get it duly signed by AO-III/DEO/APO of concerned DAE Unit, and submit it to the concerned school along with the required self-attested documents for admission.

- b) विद्यालय में आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति (हार्ड कॉपी) जमा करने से पूर्व, अभिभावकों को अपने बच्चों के मूल विवरण ऑनलाइन प्रपत्र के माध्यम से भरना अनिवार्य होगा। प्रवेश प्रक्रिया को सुगम एवं शीघ्र बनाने के लिए संबंधित प. ऊ. के. विद्यालयों/कनिष्ठ महाविद्यालयों की वेबसाइट पर इसके लिए लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। व्यक्तिगत विवरण, माता-पिता का विवरण, पता, भाईबहन से संबंधित जानकारी तथा संपर्क विवरण ऑनलाइन जमा-करने के पश्चात, अभिभावकों को विधिवत पूर्ण किया गया प्रवेश आवेदन पत्र -सत्यापित आवश्यक दस्तावेजों सहित संबंधित प. ऊ. के. विद्यालयों/कनिष्ठ महाविद्यालयों में जमा करना होगा।

Prior to submitting the printed (hard copy) application form to the school, parents are required to fill in the basic details of their wards through an online form. The relevant link will be made available on the respective AEC School's website to facilitate and expedite the admission process. After completing the online submission of personal details, parents' details, address, sibling information, and contact details, parents shall submit the duly completed admission form along with the required documents to the concerned AEC School.

- c) विद्यालय द्वारा देय शुल्क के विवरण सहित एक पावती रसीद जारी की जाएगी। इसके पश्चात, आवेदक को निर्धारित विद्यालय शुल्क का भुगतान 'एसबी कलेक्ट' [डेबिट/क्रेडिट कार्ड (मास्टर/वीजा/रुपे) अथवा नेट बैंकिंग] के माध्यम से करना होगा तथा प्रवेश की पुष्टि हेतु शुल्क भुगतान का दस्तावेजी प्रमाण संबंधित विद्यालय में जमा करना होगा।

School will issue an acknowledgement receipt along with the details of the applicable fees. Thereafter, the applicant shall pay the prescribed school fees through 'SB Collect' [Debit/Credit Card (Master/Visa/RuPay) or Net Banking] and submit documentary proof of fee payment to the concerned school for confirmation of admission.

- d) अनुशक्तिनगर मुंबई के विद्यालयों के लिए, प.ऊ.शि.सं. द्वारा प.ऊ.के.वि.-3, मुंबई और प.ऊ.के.वि.-5, मुंबई के परिसर में दो समर्पित सहायता केंद्र उपलब्ध होंगे। प्रवेश की प्रक्रिया के दौरान, शुल्क भुगतान के समय ₹ 100/- का आवेदन शुल्क लिया जाएगा जिसका भुगतान ऑनलाइन किया जाना चाहिए।

For the schools at Anushaktinagar, Mumbai, two dedicated helpdesks will be provided by AEES in the premises of AECS-3, Mumbai and AECS-5, Mumbai. During the process of admission, an application fee of ₹ 100/- will be charged at the time of fee payment which should be paid online.

- e) यदि माता-पिता को, प्रवेश के लिए ऑनलाइन विवरण जमा/अपलोड करते समय कोई समस्या हो, तो वे प.ऊ.के.वि.-3, मुंबई और प.ऊ.के.वि.-5, मुंबई में उपलब्ध सहायता केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। प्रवेश के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया के दौरान सहायता केंद्र सभी कार्य दिवसों पर अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक कार्य करेंगे।

If the parents face any problem while submitting online details for admission, they can approach the helpdesks available at AECS-3, Mumbai and AECS-5, Mumbai. Helpdesks will function from 02.00 p.m. to 05.00 p.m. on all working days during the process of applying for admission.

सहायता केंद्र संपर्क नंबर/Helpdesk Contact Number

AECS-3, Mumbai: 022-25580552 and AECS-5, Mumbai: 022-25582485

4) प्रवेश कार्यक्रम/Admission Schedule:

सभी प.ज.के.विद्यालयों/कनि. महाविद्यालय के लिए बालवाटिका-I, II और III, कक्षा-I से X और XII के लिए प्रवेश कार्यक्रम इस प्रकार है:

Admission schedule for **Balvatika-I, II & III, Class-I to X and XII** for all the schools/Junior Colleges is as follows:

क्र.सं. Sl. No.	गतिविधि/Activity	दिनांक /Date	समय/Time
01	a. मुंबई केंद्र के अलावा आवेदन पत्रों का वितरण Distribution of Application Forms –Other than Mumbai b. मुंबई केंद्र के लिए ऑनलाइन आवेदन Online Application for Mumbai Centre	21/01/2026 to 10/02/2026	9 am to 1 pm (offline form)
02	सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए आवेदन पत्रों को जमा करना Submission of the duly filled in Admission Forms with supporting documents	22/01/2026 to 13/02/2026	9 am to 1 pm
03	पात्र और योग्य छात्रों की सूची का प्रदर्शन Display of the list of eligible and qualified students.	17/02/2026	10.00 am
04	डीएई वार्डों का प्रवेश Admission of DAE Wards	18/02/2026 to 28/02/2026	9 am to 1 pm

a) नोट : कक्षा XI प्रवेश कार्यक्रम संबंधित विद्यालयों द्वारा और कक्षा X बोर्ड परीक्षा परिणाम की घोषणा के बाद ही प्रदर्शित किया जाएगा।

Note: Admission schedule of Class XI will be displayed by respective schools only after declaration of Class-X Board Exam result.

b)

(i) केंद्रीय कार्यालय, प.ज.शि.सं. के पूर्वानुमोदन के बिना कार्यक्रम में कोई परिवर्तन की अनुमति नहीं है।

No change in schedule is allowed without prior approval of the Central office, AEES.

(ii) आवेदन पत्र, चयन सूचियों का प्रदर्शन, प्रवेश आदि प्रस्तुत करना आवासीय क्षेत्राधिकार के अनुसार संबंधित प.ज.शि.सं. में किया जाएगा। स्था.प्र.स./प.ज.शि.सं. का निर्णय आवासीय क्षेत्राधिकार के बावजूद कई विद्यालयों वाले केंद्रों में प्रवेश देने में अंतिम होगा।

Submission of Application/Admission Forms, display of selection lists, admission etc. shall be done at the respective AEC School as per the residential jurisdiction. The decision of LMC/ AEES shall be final in granting the admission at the centers having multiple schools irrespective of residential jurisdiction.

5) शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए डीएई छात्रों द्वारा भुगतान की जाने वाला शुल्क

Fees to be Paid by DAE Students for the Academic year 2026-27:

I. अन्य शुल्कों के साथ प्रवेश के समय ₹ 100/- के प्रवेश शुल्क का भुगतान किया जाना है।

An Admission Fee of ₹ 100/- is to be paid at the time of admission along with other fees.

II. प्रवेश के समय सभी डीएई श्रेणी छात्रों से अवधि/वार्षिक आधार पर (यानी, अर्धवार्षिक/वार्षिक) शुल्क लिया जाएगा। शुल्क की अवधि-वार भुगतान के मामले में, विद्यालय द्वारा जारी अनुसूची के अनुसार उस शैक्षणिक सत्र के अक्टूबर के महीने में दूसरी अवधि के शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

Fees shall be charged from all DAE wards on term/annual basis (i.e., half yearly / annually) at the time of admission. In case of term-wise payment of fee, the second term fee shall be paid in the month of October of that academic session as per the schedule issued by the school.

III. किसी भी प्रकार की कोई शुल्क रियायत डीएई, के. औ. सु. ब., आईबी और अन्य केंद्र सरकार के किसी भी कर्मचारी वार्ड पर लागू नहीं होगी।

No fee concession of any kind shall be applicable to any of the wards of DAE, CISF, IB and other Central Govt. employees.

IV. डीई श्रेणियों के तहत प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए शुल्कः

Fees for Students Seeking Admission under DAE Categories:

कक्षा Class	शिक्षण शुल्क Tuition Fee	प.ऊ.वि.वि.नि शुल्क PUVVN Fee	कंप्यूटर शुल्क Computer Fee
बालवाटिका/Balvatika-I, II & III	₹ 900/- प्रति माह per month	₹ 300/-प्रति माह per month	लागू नहीं / N.A.
I to XII	₹ 900/- प्रति माह per month	₹ 300/- प्रति माह per month	<ul style="list-style-type: none"> कक्षा XI और XII के लिए यदि छात्र ने कम्प्यूटर विज्ञान या एक विषय के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी का विकल्प चुना है: ₹ 50/-प्रति माह For class XI and XII if the student has opted Comp Sc. or Information Tech as one of the subjects: ₹ 50/-per month अन्य के लिए : ₹ 30/-प्रति माह For others: ₹ 30/-per month

छूट/Exemptions:

शिक्षण शुल्क छूट केवल निम्नलिखित मामलों में उपलब्ध है, जो आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है। यह प्रमाणित करना कि अभिभावक के विभाग द्वारा तृतीय संतान के लिये बाल शिक्षा भत्ता (सीईए) प्रदान नहीं किया जा रहा है।

Tuition Fee exemption is only available in the following cases, subject to production of the required certificates confirming that Children Education Allowance (CEA) is not extended to the third child by the parent's department.

- i) केंद्र सरकार के वे कर्मचारी जिनकी तृतीय संतान बालिका हो, और
Wards of Central Government Employees whose third child is girl , and
 - ii) अनुसूचित जाति / अनुसूचित के जनजाति के कर्मचारियों की तीसरी तथा उससे आगे की संतान
Third child onwards of SC/ST employees.
- 6) प.ऊ.शि.सं. में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेज
Documents to be submitted along with the Application Form for Admission in AEEs.

A) प्रवेश चाहने वाले छात्रों के लिए जमा किए जाने वाले दस्तावेज़/

Documents to be submitted for students seeking admission for:

i). बालवाटिका / Balvatika-I, II, III & कक्षा/Class I

a. मूल जन्म प्रमाणपत्र/Original Birth Certificate

ii). कक्षा/Class II to IX:

a. मूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी)/Original Transfer Certificate (TC)

b. पूर्व विद्यालय की पिछली अध्ययन की गई कक्षा की प्रगति रिपोर्ट/रिपोर्ट कार्ड

Progress Report / Report Card of the class last studied from the previous school.

iii). कक्षाएँ X और XII/Classes X and XII:

a. मूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी)/Original Transfer certificate (TC)

b. पूर्व विद्यालय की पिछली अध्ययन की गई कक्षा की प्रगति रिपोर्ट/रिपोर्ट कार्ड आवश्यक है

Progress Report / Report card of the class last studied from the previous school is required.

c. कक्षा IX के बाद, सीबीएसई दिशानिर्देशों के अधिन निर्धारित दस्तावेज़

Class IX onwards, documents as prescribed under CBSE guidelines.

d. प्रवेश के लिए नीति और प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज निर्भर करेंगे जहां भी लागू हो, शिक्षा के संबंधित बोर्डों की आवश्यकताओं पर

The policy for admission and the documents required for admissions will depend on the requirements of the respective Boards of Education, where ever applicable.

B) अभ्यर्थी और माता-पिता के आधार कार्ड की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी / स्कैन की गई प्रति (साथ में माता-पिता की आईडी की सत्यापित प्रति के साथ)

Self-attested Photocopy/Scanned copy of Aadhaar Card of the candidate and Parents (Along with an attested copy of ID of parents).

- a) माता-पिता के पहचान पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी/स्कैन की गई प्रति/Self-attested Photocopy/Scanned copy of Identity card of the parents
- b) आवंटन आदेश/पते के प्रमाण की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी/स्कैन की गई प्रति (यदि आवेदक डीएई कॉलोनी के बाहर रह रहा है/Self-attested Photocopy/Scanned copy of the allotment order/address proof (If the applicant is residing outside the DAE colony))
- c) बच्चे के नाम पर जाति प्रमाण पत्र (यदि छात्र एससी/एसटी/ओबीसी/अन्य हैं।)

Caste certificate in the name of the child (If pupil belongs to SC/ST/OBC/Other).

नोट/Note:

i. डीएई वार्डों को प्रवेश आम तौर पर बहु-विद्यालय केंद्रों में आवासीय क्षेत्राधिकार के अनुसार दिया जाएगा। हालांकि, प.ऊ.शि.सं. और उसके प्रतिनिधि अपनी विद्यालयी शिक्षा के किसी भी चरण में केंद्र/आवासीय कॉलोनी के प.ऊ.कें.विद्यालयों के बीच किसी भी छात्र/छात्रों को स्थानांतरित/अदला-बदली करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

Admission to the DAE wards shall normally be granted as per the residential jurisdiction in multi-school centers. However, AEES and its representative reserve the right to shift/ inter-change any student/students among AEC schools of the Centre/residential colony at any stage of his/her/their schooling.

ii. यदि आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत की गई जानकारी किसी भी स्तर पर गलत पाई जाती है, तो इससे प्रवेश रद्द हो जाएगा।

If the information submitted by the applicants in the application form is found to be wrong at any stage, it will lead to the cancellation of admission.

iii. यदि बच्चे का आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए आवेदन करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

If Aadhaar card of the child is not available, proof of having applied for the same shall be submitted.

.....

आरटीई अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत बालवाटिका-I के लिए प्रवेश दिशानिर्देश
Admission Guidelines for Balvatika-I under the provisions of the RTE Act 2009

यह सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2015-2016 से 2025-2026 तक प.ऊ.के.विद्यालयों में आरटीई अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश केवल कक्षा-I में ही प्रदान किए गए थे। **शैक्षणिक सत्र 2026-2027 से,** प.ऊ.के.विद्यालयों में आरटीई अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश अब केवल बालवाटिका-I में प्रदान किए जाएंगे।

It is informed that during the Academic Sessions from 2015–2016 to 2025–2026, admissions under the provisions of the RTE Act were granted by AEC Schools only in Class I. **From the Academic Session 2026–27 onwards, admissions under the provisions of the RTE Act shall now be granted by AEC Schools only in Balvatika-I.**

आरटीई श्रेणी के अंतर्गत बालवाटिका-I में प्रवेश दिए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या समय पर प.ऊ.शि.सं. (AEES) द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार ही होगी।

The number of students to be admitted in Balvatika-I under RTE category must be as per guidelines issued by AEES from time to time.

1. प्रवेश की विधि/Method of admission

- (i) प.ऊ.के.विद्यालयों के प्रमुख, संबंधित अध्यक्ष, स्था.प्र.स के परामर्श से निर्णय लेंगे कि क्या आरटीई अधिनियम के तहत प्रवेश प.ऊ.शि.सं. के दिशानिर्देशों के अनुसार या राज्य सरकार आवंटन प्रणाली के माध्यम से दिया जाएगा। आरटीई अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश दोनों प्रणालियों को एक साथ अपनाकर किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा। प.ऊ.के.विद्यालयों के प्रमुखों को उनमें से किसी एक को चुनना होगा।

The Heads of AEC Schools shall decide in consultation with the respective Chairman LMC whether the admissions under RTE Act shall be granted as per guidelines of AEES or through the State Government allotment system. Admissions under RTE Act shall not be made under any circumstances by adopting both systems simultaneously. Heads of AEC Schools have to opt any one of them.

- (ii) जहां कहीं भी, प.ऊ.के.विद्यालयों ने आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रवेश देने के लिए राज्य सरकार के संबंधित शिक्षा विभाग के साथ ऑनलाइन पंजीकरण किया है, संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों को आरटीई के तहत बालवाटिका-I के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या के बारे में सूचित किया जाएगा। प्रवेश उस सीमा तक सख्ती से दिए जाएंगे।

Wherever, the AEC Schools have registered online with the respective Education Department of the State Government for grant of admissions under the provisions of RTE Act, the respective State Government authorities shall be informed about the number of seats available for Balvatika-I under RTE admissions shall be granted strictly to that extent.

- (iii) जहां कहीं भी, प.ऊ.के.विद्यालय राज्य सरकार के शिक्षा विभाग से आरटीई अधिनियम के तहत प्रवेश के लिए छात्रों के नाम लेते हैं, उन संस्थानों के प्रमुखों को राज्य सरकार को प.ऊ.शि.सं. में प्रवेश के लिए पालन किए जाने वाले 'आयु मानदंड' के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया जाता है। उन्हें स्पष्ट रूप से सूचित किया जाए कि 31 मार्च, 2026 को 3 (तीन) वर्ष की आयु पूरी करने वाले छात्र ही (1 अप्रैल को जन्मे बच्चे को भी प्रवेश दिया जायेगा) आरटीई अधिनियम के तहत बालवाटिका-I में प्रवेश के लिए पात्र हैं और केवल ऐसे बच्चों के नाम ही प.ऊ.के.विद्यालयों में आरटीई अधिनियम के तहत बालवाटिका-I में प्रवेश के लिए अग्रेषित किए जा सकते हैं।

Wherever, the AEC Schools seeking the names of students for admission under RTE Act from the State Government Authorities, the Heads of Institutions are hereby instructed to inform the state govt. authorities about the 'Age Criterion' followed for admission in the AEES. They may be clearly informed that the students who have completed the age of 3 (Three) years as on March 31, 2026 (The child born on 1st April should also be considered) are only eligible for admission in Balvatika-I under RTE Act and the names of such children can only be forwarded for admission in Balvatika-I under RTE Act in AEC Schools.

- (iv) जिन विद्यालयों ने राज्य सरकारों के साथ ऑनलाइन पंजीकरण कराया है, उन्हें आगे दिए गए आरटीई प्रवेश कार्यक्रम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। वे राज्य सरकार के आरटीई प्रवेश कार्यक्रम का पालन करेंगे। The schools that have registered online with the state governments need not follow the schedule of RTE Admissions given ahead. They will follow the State Governments RTE admission schedule.

- (v) प.ऊ.के.विद्यालयों के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी मामले में, आरटीई अधिनियम के तहत बालवाटिका-I में दिए जा रहे प्रवेश की संख्या निर्धारित सीटों की संख्या से अधिक न हो।

Heads of AEC Schools have to ensure that in any case, the number of admissions being granted in Balvatika-I under the RTE Act does not exceed the prescribed number of seats.

(vi) जो विद्यालय आरटीई अधिनियम के तहत छात्रों के प्रवेश के लिए प.ऊ.शि.सं. मानदंडों को अपनाते हैं, वे निम्नलिखित पात्रता मानदंड का पालन करेंगे।

The schools which adopt AEES Norms for admission of students under RTE Act they shall follow the following eligibility criterion.

a) पड़ोसी क्षेत्र में रहने वाले जिन बच्चों ने 31 मार्च, 2026 को 3 (तीन) वर्ष पूरे कर लिए हैं (1 अप्रैल को जन्मे बच्चे को भी प्रवेश दिया जायेगा), जो वंचित समूह और/या कमजोर वर्ग से संबंधित हैं, आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत प्रवेश लेने के पात्र हैं।

Children who have completed 3 (Three) years as on March 31, 2026 (The child born on 1st April should also be considered for admission) residing in the neighbourhood area, who belong to Disadvantaged Group and/or Weaker Section are eligible to seek admission under the provisions of RTE Act, 2009.

b) यदि आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के तहत बालगटिका-I में प्रवेश के लिए प्राप्त अवेदनों की संख्या उपलब्ध सीटों से अधिक है, तो संबंधित स्कूल के अध्यक्ष, स्था.प्र.स. को आरटीई अधिनियम के तहत सीटों की निश्चित संख्या (जैसा कि ऊपर कहा गया है) को लॉटरी द्वारा भरना चाहिए। लॉटरी करने के लिए समिति का गठन स्था.प्र.स. के अध्यक्ष द्वारा तय की जाएगी।

If the number of applications received seeking admission into Balvatika-I under the provisions of RTE Act exceeds the available seats, Chairman, LMC of the school concerned should fill up the said fixed number of seats (as stated above) under RTE Act, by having a system of Draw of Lots. The composition of committee for drawing of lots will be as decided by the Chairman, LMC.

2. आरटीई अधिनियम के अनुसार परिभाषाएं/Definitions as per RTE Act:

a) वंचित समूह की परिभाषा/Definition of Disadvantaged Group

वंचित समूह से संबंधित बच्चे का अर्थ है दिव्यांग बच्चा या अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या ऐसे अन्य समूह से संबंधित बच्चे जिनका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या ऐसे अन्य कारकों से वंचित हैं, जिहें उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना (आरटीई अधिनियम की धारा 2 (ई)) के माध्यम से निर्दिष्ट किया जा सकता है।

Child belonging to disadvantaged group means a child with disability or a child belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, the socially and educationally backward class or such other group having disadvantage owing to social, cultural, economic, geographical, linguistic, gender or such other factor as may be specified by the appropriate government, by notification (Section 2(d) of RTE Act).

विशेष आवश्यकताओं वाले (सीडब्ल्यूएसएन) और विकलांगता से पीड़ित बच्चों का निर्धारण आरटीई अधिनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार या संबंधित राज्य सरकार द्वारा परिभाषित किया जाएगा।

Children With Special Needs (CWSN) and suffering from disability will be determined as per the provision mentioned in RTE Act 2009 or as defined by the concerned State Govt.

b) कमजोर वर्ग की परिभाषा/Definition of weaker section

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित बच्चे का अर्थ ऐसे माता-पिता या अभिभावक (न्यायालय या कानून द्वारा घोषित) का बच्चा है, जिनकी वार्षिक आय उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम है (आरटीई अधिनियम की धारा 2(ई))। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय सीमा संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसार लागू होगी।

Child belonging to weaker section means a child belonging to such a parent or guardian (declared by a Court or a Statute) whose annual income is lower than the minimum limit specified by the appropriate government, by notification (Section 2(e) of RTE Act). The income limit regarding economically weaker sections will be applicable as notified by the State Govt. concerned.

c) पड़ोसी क्षेत्र की परिभाषा और निवास का प्रमाण

Definition of Neighbourhood & Proof of Residence

चूंकि प.ऊ.कें.विद्यालय विभिन्न राज्यों में स्थित हैं, इसलिए पड़ोस क्षेत्र की परिभाषा के संबंध में संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

Since AEC Schools are located in different states, the respective State Govt. guidelines regarding the definition of neighbourhood may be followed.

3. आवेदन पत्र/Application Forms:

आरटीई अधिनियम 2009 के तहत बालवाटिका-I में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र

Application Forms for Admission in Balvatika-I under RTE Act 2009

(जहां विद्यालय द्वारा ही प्रवेश किया जाता है):

(where admissions are done by school itself):

प्रवेश के लिए आवेदन पत्र प.ऊ.शि.सं. की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है (आवेदन पत्र शुल्क की कोई आवश्यकता नहीं है)। विधिवत भरा हुआ फॉर्म विद्यालय/कनिष्ठ महाविद्यालय (एकल विद्यालय केंद्र) या विभिन्न विद्यालय केंद्र के मामले में को समन्वयक विद्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

Application Form for admission can be downloaded from AEES website (No application form fee is required). The duly filled in form should be submitted to the school/JC (single school centre) or to the co-ordinating school in case of multiple school centre.

अथवा/OR

प्रवेश के लिए आवेदन पत्र प.ऊ.कें.विद्यालय/कनिष्ठ महाविद्यालय (एकल विद्यालय केंद्र) के कार्यालय या कई विद्यालय केंद्रों के मामले में समन्वय विद्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है। विधिवत भरा हुआ फॉर्म उस विद्यालय (एकल विद्यालय केंद्र) या विभिन्न विद्यालय केंद्र के मामले में समन्वयक विद्यालय को प्रस्तुत किया जाना है। हालांकि, अध्यक्ष, स्थाप्रसं कई विद्यालय केंद्रों के लिए फॉर्म एकत्र करने और जमा करने के लिए किसी विशेष विद्यालय/कनिष्ठ महाविद्यालय का निर्णय/निर्धारण कर सकते हैं।

Application Form for admission can also be obtained from the office of AEC school/JC (single school centre) or from the co-ordinating school in case of multiple school centres. The duly filled in form has to be submitted to that school (single school centre) or to the co-ordinating school in case of multiple school centre. However, the Chairman, LMC may decide/fix any particular school/JC for collection and submission of forms for the multiple school centres.

आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के तहत बालवाटिका-I के लिए प्रवेश कार्यक्रम Admission Schedule for Balvatika-I under the Provisions of RTE Act

क्र.सं. Sr. No.	गतिविधि Activity	तारीख Date	समय Time
01	आवेदन पत्रों का वितरण Distribution of Admission Form	02/03/2026 to 12/03/2026	9 am to 1 pm
02	सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए आवेदन पत्रों को जमा करना Submission of the duly filled in Admission forms with all supporting documents	05/03/2026 to 14/03/2026	9 am to 1 pm
03	पात्र और योग्य छात्रों की सूची का प्रदर्शन Display of the list of students found eligible and qualified	18/03/2026	10.00 am
04	आरटीई के अंतर्गत छात्रों का प्रवेश Admission of students under RTE	23/03/2026 to 28/03/2026	9 am to 1 pm

नोट/Note:

- I. केंद्रीय कार्यालय, प.ऊ.शि.सं. के पूर्वानुमोदन के बिना कार्यक्रम में कोई परिवर्तन की अनुमति नहीं है।
No change in schedule is allowed without prior approval of the Central office, AEES.
- II. प्रवेश के लिये आवेदन पत्रों का वितरण और इनको जमा करना, सूचियों का प्रदर्शन, प्रवेश आदि संबंधित प.ऊ.कें.विद्यालयों/समन्वयक विद्यालयों में ही किया जाएगा।
Distribution of Application/Admission Forms and its submission, display of lists, admission etc. shall be done at the respective AEC Schools/ Co-ordinating schools.

4. आरटीई के तहत शुल्क/Fee under RTE:

कक्षा-आठवीं पूरी होने तक आरटीई अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश दिए गए छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जिन कर्मचारियों के पास अपने विभाग में शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा है, वे आरटीई शुल्क रियायतों का दावा नहीं कर सकते।

No fee will be charged from students admitted under RTE Act till they complete Class-VIII. The employees who have the facility of fee reimbursement in their department cannot claim RTE fee concessions.

5. प.ऊ.शि.सं. में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

Documents to be Submitted Along with the Application form for Admission in AEES

- i. जन्मतिथि प्रमाण के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। इसमें संबंधित क्षेत्र के राजस्व/पंचायत अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर के तहत पृष्ठांकित ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड से जन्म तिथि के बारे में संबंधित क्षेत्र परिषद/नगर पालिका/नगर पालिका निगम के प्रमाण पत्र शामिल होंगे।
Certificate of proof of age in the form of original birth certificate issued by the authority competent to register birth. This will include certificates from Notified Area Council/ Municipality/ Municipality Corporation extract about the date of birth from records of Village Panchayat endorsed under the seal and signature of the Revenue/Panchayat officer of the concerned area.
- ii. यह प्रमाण पत्र कि बच्चा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग /ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर)/ बीपीएल/ दिव्यांग, जो भी लागू हो, से संबंधित राज्य सरकार/केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। प्रारंभ में, यदि यह प्रमाण पत्र बच्चे के नाम पर उपलब्ध नहीं है तो प्रवेश के उद्देश्य से माता-पिता में से किसी के संबंध में प्रमाण पत्र शुरू में स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि, बच्चे के संबंध में प्रमाण पत्र प्रवेश की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
A certificate that the child belongs to the Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/ EWS/OBC (Non-Creamy Layer)/ BPL/ Differently-abled, whichever applicable, issued by the competent authority of State Government/ Union Government concerned. The certificate in respect of either of the parents may be accepted initially, for the purpose of admission, if this certificate is not available in the name of the child. However, the certificate in respect of the child has to be submitted within a period of 3 Months from the date of admission.
- iii. दिव्यान्ता की स्थिति में, सिविल सर्जन / पुनर्वास केंद्र या भारत सरकार द्वारा परिभाषित किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी से एक प्रमाण पत्र जो यह प्रमाणित करता है कि बच्चा विकलांग है प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जहाँ बच्चे की दिव्यान्ता को प्रधानाचार्य द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, वहाँ बच्चे को प्रमाण पत्र के बिना भी विकलांग के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि, माता-पिता को सक्षम प्राधिकारी से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने और विद्यालय को प्रस्तुत करने की सलाह दी जा सकती है।
A Certificate from the civil surgeon/rehabilitation centre or any other competent authority defined by the Government of India certifying that child is handicapped. (wherever applicable). Where the handicap of the child can be visually seen by the Principal, the child may be accepted as handicapped even without a certificate. However, the parent may be advised to obtain the relevant certificate from the competent authority and submit the same to the school.
- iv. निवास का प्रमाण/Proof of residence :

नोट/Note: निवास का प्रमाण : सभी आवेदकों को निवास प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
Proof of residence shall have to be submitted by all applicants.

.....

बालवाटिका -I तथा कक्षा -I से XII के लिए गैर-डीएई (एनडी-1 से एनडी-4 श्रेणियां) के लिए प्रवेश दिशानिर्देश**Admission Guidelines for Non-DAE (ND-1 to ND-4 Categories) for Balvatika-I and Classes I to XII**

प.ऊ.के.विद्यालयों में गैर-डीएई श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश का अनुमोदन उस विद्यालय में डीएई और आरटीई प्रवेश पूरा होने के बाद संबंधित कक्षाओं में सीटों की उपलब्धता के अधीन है।

Grant of admissions under the Non- DAE Category in AEC schools is subject to the availability of seats in the respective classes after completion of admissions in DAE and RTE in that school.

गैर-डीएई श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश के लिए कोई अतिरिक्त अनुभाग (सेक्षन) नहीं खोला जा सकता है।
No additional sections can be opened for admissions under the Non-DAE category.

प्रत्येक कक्षा में अधिकतम छात्र संख्या के लिए, सीबीएसई परिपत्र संख्या सीबीएसई/सीई/परिपत्र/2023 दिनांक 02.08.2023 और एन सी इ आर टी के दिशा निर्देश देखें।

For maximum student strength in each class, refer CBSE circular No. CBSE/CE/CIRCULAR/2023 dated 02.08.2023 and NCERT guidelines.

प्रवेश के लिये आवेदन पत्र जारी करना और स्वीकार करना गैर-डीएई श्रेणियों से संबंधित छात्रों को प्रवेश की गारंटी नहीं देता है।
Mere issue and acceptance of an admission form does not guarantee admission to the students belonging to Non-DAE categories.

1. प्रवेश की विधि/Method of Admission

i) बालवाटिका-I से कक्षा VIII और कक्षा XI में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए कोई प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। कक्षा XI में प्रवेश, कक्षा X के अंकों के आधार पर दिया जाएगा। प्रवेश के लिए कट-ऑफ अंक संबंधित विद्यालयों द्वारा प्रदर्शित किए जाएंगे।

No admission test shall be conducted for the students seeking admissions to Balvatika-I to Class VIII and Class-XI. Class XI admissions will be granted on the basis of class X marks. Cut-off marks for admissions will be displayed by respective schools.

ii) कक्षा IX में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रवेश परीक्षा की तारीख और अन्य विवरण संबंधित विद्यालयों द्वारा प्रदर्शित किए जाएंगे।

Admission test shall be conducted for admission to class IX. Admission test date and other details will be displayed by respective schools.

2. गैर-डीएई श्रेणियों (एनडी-1 से एनडी-4) के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए पात्रता

Eligibility for Students Seeking Admission under Non-DAE Categories (ND-1 to ND-4)

I) प्रवेश पिछली कक्षा से पदोन्नति और पात्रता मानदंडों की पूर्ति के आधार पर दिया जाएगा (उदाहरण के लिए कक्षा IV में प्रवेश पाने के लिए एक बच्चे को कक्षा III से उत्तीर्ण और पदोन्नत होना चाहिए)।

Admissions will be granted on the basis of the promotion from the previous class and fulfilment of eligibility criteria (e.g. a child must have passed and promoted from class III to get admission in class IV).

II) किसी विशेष कक्षा में गैर-डीएई श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश के लिए उपलब्ध रिक्तियों की संख्या निर्धारित करने के लिए प्रत्येक कक्षा की मूल संख्या पर विचार किया जाएगा।

The base strength of each section of a class shall be considered for arriving at the number of vacancies available for Non-DAE admissions in a particular class.

III) रिक्त सीटों के लिए प.ऊ.के.विद्यालयों में प्रवेश मांगने के लिए गैर-डीएई की श्रेणियां, यदि कोई हो, इस प्रकार हैं।

Categories of Non-DAE for seeking admission in AEC Schools against the vacant seats, if any, are as follows.

श्रेणी कोड Category code	विवरण Description
ND-1	परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के बच्चे , जिनकी भूमि डीएई परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है। Wards of the Project Affected people, whose land has been acquired for the DAE project.
ND-2	डीएई से संबंधित गतिविधियों में संलग्न केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू कर्मचारियों के वार्ड (जैसे सौशील्या, महत्वा, विशेष बच्चों के लिए विद्यालय, सहकारी ऋण समिति, बैंक और डाकघर आदि) और डीएई परियोजनाओं के लिए काम करने वाले ठेकेदारों के कर्मचारियों के वार्ड और रक्षा/अर्धसैनिक कर्मियों या उनकी विधवाओं के वार्ड। Wards of Central/state Government/PSU employees engaged in DAE related activities (e.g. Sausheelya, Mehatva, School for special children, Co-operative Credit Society, Banks, and Post Office etc.) and wards of employees of contractors working for DAE projects and wards of the defence/Paramilitary Personnel or their widows.
ND-3	सेवारत/सेवानिवृत्त या मृत हो चुके डीएई कर्मचारियों के पोते (प्रति कर्मचारी एक प्रवेश)। प.ऊ.शि.सं. कर्मचारियों (सेवा / सेवानिवृत्त या समाप्त) के पोते-पोतियों को प्राथमिकता दी जाएगी। Grandchildren of serving/retired or expired DAE employees (One admission per employee). Grandchildren of AEES employees (serving/retired or expired) shall be given preference.
ND-4	डीएई प्रतिष्ठान के आसपास रहने वाले लोगों के वार्ड। Wards of people residing around DAE establishment

नोट/Note:

एनडी-1 से एनडी-4 श्रेणियों के लिए गैर-डीएई प्रवेश केवल उपलब्ध सीटों की संख्या के आधार पर विचार किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में, गैर-डीएई प्रवेश से किसी भी कक्षा में अनुभागों में वृद्धि नहीं होगी।

Non-DAE admissions for ND-1 to ND-4 categories shall be considered only against number of available seats. Under no circumstances, the Non-DAE admission shall lead to an increase in sections in any class.

(i) नरोरा, रावतभाटा, काकरापार, तारापुर, कैगा, कुडनकुलम, कलपक्कम और अनूपुरम, मनुगुरु, जाटूगोड़ा, नरवापहाड़, तुरामडीह और पझायकायाल में स्थित विद्यालयों के लिए, स्थानीय प्रबंधन समितियों (एलएमसी) को स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर गैर-डीएई श्रेणियों की प्राथमिकता का क्रम तय करने का अधिकार है, जो समय-समय पर और एक स्थान से दूसरी स्थान पर भिन्न हो सकती है।

For schools located in Narora, Rawatbhata, Kakrapar, Tarapur, Kaiga, Kudankulam, Kalpakkam & Anupuram, Manuguru, Jaduguda, Narwapahar, Turamdihi, and Pazhayakayal, the local management committees (LMCs) are empowered to decide the order of priority of Non-DAE categories based on local requirements which may vary from time to time and from one site to another site.

(ii) मुंबई, इंदौर, हैदराबाद और मैसूर में स्थित विद्यालयों के लिए, गैर-डीएई श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश के लिए प्राथमिकता क्रम सामान्यतः ऊपर दी गई तालिका में उल्लिखित क्रम में होगा।

For schools located in Mumbai, Indore, Hyderabad and Mysore the Priority order for admission under Non-DAE category will be generally in the order mentioned in the table above.

(iii) सभी गैर-डीएई प्रवेशों के लिए संबंधित स्था.प्र.स. अध्यक्ष की अनुशंसाओं के आधार पर प.ऊ.शि.सं. के केंद्रीय कार्यालय की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। यदि प्रवेश के लिए आवेदन किया जाता है तो अलग आवेदन पत्र जमा करने होंगे।

All Non-DAE Admissions category shall require prior approval of the Central office, AEES based on recommendations of respective Chairman, LMC.

(iv) यदि एक से अधिक श्रेणियों के तहत प्रवेश की मांग की जाती है, तो अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने चाहिए, अर्थात् आरटीई और गैर-डीएई श्रेणियां (एनडी1 - एनडी4)।

Separate admission forms must be submitted if admission is sought under more than one category, i.e. RTE and Non-DAE categories (ND1 - ND4).

3. आयु मानदंड (गैर-डीएई के लिए)/Age Criteria (For Non-DAE)

विभिन्न कक्षाओं में प.ऊ.शि.सं. में प्रवेश के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा नीचे दी गई है: (1 अप्रैल को जन्मे बच्चे को भी प्रवेश दिया जायेगा।)

The minimum and maximum age limit for admission in AEES in various classes are as given below:
(Child born on 1st April should also be considered.)

कक्षा/Class	31 मार्च, 2026 को न्यूनतम आयु Minimum age on 31 st March, 2026	31 मार्च, 2026 को अधिकतम आयु Maximum age on 31 st March, 2026
Balvatika-I	3 Years	4 Years
Class -I	6 Years	8 Years
II	7 Years	9 Years
III	8 Years	10 Years
IV	9 Years	11 Years
V	9 Years	11 Years
VI	10 Years	12 Years
VII	11 Years	13 Years
VIII	12 Years	14 Years
IX	13 Years	15 Years
X	14 Years	16 Years
XI	15 Years	17 Years
XII	16 Years	18 Years

नोट/Note- प्रधानाचार्य द्वारा दिव्यांग बच्चों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में दो साल की छूट दी जा सकती है।

The maximum age limit can be relaxed by two years in case of Differently abled children by the Principal.

4. आवेदन पत्र/Application Forms

i) मुंबई के प. ऊ. के. विद्यालयों/कनिष्ठ महाविद्यालयों में गैर-डीएई श्रेणी के प्रवेश हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र का लिंक प.ऊ.शि.सं की वेबसाइट (www.aees.gov.in) और मुंबई के सभी प. ऊ. के. विद्यालयों/कनिष्ठ महाविद्यालयों की वेबसाइटों पर उपलब्ध होगा। अभिभावक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरेंगे, उसका प्रिंटआउट लेंगे, उस पर विधिवत हस्ताक्षर करेंगे और प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित स्कूल में जमा करेंगे।

Application form for admission to AEC Schools in Mumbai for Non-DAE category will be made available in online mode. The link of online application form will be made available on the AEES website (i.e. www.aees.gov.in) as well as on the websites of all AEC Schools of Mumbai. Parents will fill in the online application form, take a printout of the same, get the form duly signed and submit the same to the concerned school along with the required documents for admission.

ii) मुंबई केंद्र के अलावा अन्य केंद्रों के लिए, प्रवेश के लिए आवेदन पत्र प.ऊ.शि.सं./विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। ₹ 100/- के आवेदन शुल्क के साथ विधिवत भरा हुआ फॉर्म विद्यालय/कनि. महाविद्यालय (एकल विद्यालय केंद्र) या विभिन्न विद्यालय केंद्र के मामले में समन्वयक विद्यालय को ऑनलाइन जमा किया जाना चाहिए।

Application Form for admission can be downloaded from AEES/School website **for other than Mumbai centre**. The duly filled in form along with an application fee of ₹ 100/- should be submitted online to the school/JC (single school centre) or to the coordinating school in case of multiple school centre.

अथवा/OR

प्रवेश के लिए आवेदन पत्र प.ऊ.के. विद्यालय/कनि. महाविद्यालय (एकल विद्यालय केंद्र) के कार्यालय से या विभिन्न विद्यालय केंद्र के मामले में समन्वयक विद्यालय से ₹ 100/- ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है। विधिवत भरा हुआ फॉर्म उस विद्यालय (एकल विद्यालय केंद्र) या बहु विद्यालय केंद्र के मामले में समन्वयक विद्यालय को प्रस्तुत किया जाना है। हालांकि, अध्यक्ष, स्थानीय प्रबंधन समिति बहु विद्यालय केंद्रों के लिए फॉर्म एकत्र करने और जमा करने के लिए किसी विशेष विद्यालय/कनि. महाविद्यालय को नामित/तय कर सकते हैं।

Application Form for admission can be obtained by paying a Fee of ₹ 100/- online from the office of AEC School / JC (single school centre) or from the coordinating school in case of multiple school centre. The duly filled in form has to be submitted to that school (single school centre) or to the coordinating school in case of multiple school centre. However, the Chairman, LMC may decide/fix any particular school/JC for collection and submission of forms for the multiple school centres.

5. प्रवेश कार्यक्रम /Admission Schedule:

प्रवेश कार्यक्रम संबंधित विद्यालयों द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा।

The Admission schedule shall be displaced by the respective schools.

क्र.सं. Sr. No.	गतिविधि Activity	तारीख Date	समय Time
1	बालवाटिका-I तथा कक्षा I से कक्षा XII के लिए आवेदन पत्र का वितरण। Distribution of Admission Form for Balvatika I and classes I to class XII a. आवेदन पत्रों का वितरण/Distribution of Application Forms – Other than Mumbai b. मुंबई केंद्र के लिए ऑनलाइन आवेदन Online Application for Mumbai Centre	05/03/2026 to 14/03/2026	11 am to 1 pm
2	सभी सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए आवेदन प्रपत्रों को प्रस्तुत करना। Submission of the duly filled in Admission forms with all supporting documents .	07/03/2026 to 16/03/2026	11 am to 3 pm
3	प्रवेश के लिए पात्र छात्रों की सूची का प्रदर्शन (सभी कक्षाएं)। Display of list of students eligible for admission (All Classes)	To be announced later	-----
4	(सभी कक्षाएं) के लिए पात्र गैर-डीएई छात्रों का प्रवेश। Admission of eligible Non-DAE students for (All Classes)	To be announced later	-----

- कक्षा X के परिणाम की घोषणा के बाद संबंधित स्कूल द्वारा कक्षा XI के प्रवेश कार्यक्रम को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

Class XI admission schedule will be notified separately by respective school after declaration of class X result.

नोट/Note:

- I. केंद्रीय कार्यालय, प.ऊ.शि.सं. के पूर्वानुमोदन के बिना कार्यक्रम में कोई परिवर्तन की अनुमति नहीं है।
No change in schedule is allowed without prior approval of the Central office, AEES.
- II. आवेदन/प्रवेश प्रपत्रों का वितरण और इसकी प्रस्तुति, सूचियों का प्रदर्शन, अंतिम प्रवेश आदि जैसे भी मामले हो, जहां प्रवेश की मांग की जाती है, वह संबंधित प.ऊ.कें.विद्यालयों/समन्वयक विद्यालयों में किया जाएगा।
Distribution of Application/Admission Forms and its submission, display of lists, final admission etc. shall be done at the respective AEC Schools/ Co-ordinating schools as the case may be, where admission is sought.
- III. जो छात्र परिणामों की घोषणा में देरी के कारण टीसी प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, उन्हें वास्तविक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के आधार अस्थायी प्रवेश दिया जा सकता है।
For students who cannot produce TC because of delay in announcement of results, provisional admission based on bona-fide pass certificate can be done.

6. भुगतान किया जाने वाला शुल्क/Fee to be Paid

- i. अन्य शुल्क के साथ प्रवेश के समय ₹ 100/- के प्रवेश शुल्क का भुगतान किया जाना है।

Admission Fee of ₹ 100/- is to be paid at the time of admission along with other fees.

- ii. प्रवेश के समय अन्य शुल्क सत्र/वार्षिक आधार पर (उ.स्व, अर्धवार्षिक/वार्षिक) से लिया जाएगा। सत्र शुल्क के भुगतान के संबंध में, द्वितीय सत्र का शुल्क उस शैक्षणिक सत्र के अक्टूबर माह में विद्यालय द्वारा जारी अनुसूची के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए।

Other Fees will be charged from on term/annual basis (i.e., half yearly/ annually) at the time of admission. In respect of payment of term fee, the second term fee should be paid in the month of October of that academic session as per the schedule issued by the school.

- iii. किसी भी प्रकार की कोई शुल्क छूट लागू नहीं होगी।

No fee concession of any kind shall be applicable.

शुल्क संरचना इस प्रकार है/The Fee Structure is as follows:

श्रेणी/Category	कक्षा/Class	शिक्षण शुल्क-₹ में (प्रति माह) Tuition Fee in ₹ (per month)	प.ऊ.वि.वि नि - ₹ में (प्रति माह) PUVVN Fee in ₹ (per month)	कंप्यूटर शुल्क - ₹ में (प्रति माह) Computer Fee in ₹ (per month)
शहरी क्षेत्रों में स्थित प.ऊ.के.विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले गैर-डीएई छात्रों के संबंध में अपीत मुद्र्दा, इंदौर, हैदराबाद और मैसूर/In respect of Non-DAE students seeking admission in AEC schools located in urban areas i.e. Mumbai, Indore, Hyderabad and Mysore	बालवाटिका-I और कक्षा - I से कक्षा- XII तक Balvatika I and classes I to class XII	3000	300	a) बालवाटिका के लिए -शून्य For Balvatika-Nil b) कक्षा XI और XII के लिए यदि छात्र ने कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना तकनीक को चुना है। : ₹ 50 For class XI and XII if the student has opted Comp. Sc. or Information Tech: ₹ 50 c) अन्यों के लिए: ₹ 30 For others: ₹ 30
अन्य सभी स्टेशनों पर प.ऊ.के.विद्यालयों में प्रवेश चाहने वाले गैर-डीएई छात्रों के संबंध में (इस तालिका में उल्लिखित विद्यालयों को छोड़कर)/In respect of Non-DAE students seeking admission in AEC Schools at all other stations (except the schools mentioned above in this table)		1500	300	

नोट/Note:प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित अवधि के भीतर उपरोक्त शुल्क का भुगतान न करने पर छात्र का नाम स्कूल के रोल से हटा दिया जाएगा।

In case of non-payment of above fees within the stipulated period for each year, the name of the student will be struck off from the rolls of the school.

**7. प.ऊ.शि.सं. में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज
Documents mandatorily to be submitted along with the Application form for Admission in AEES**

- i. बालवाटिका-I के लिए: नगरपालिका/नगर निगम द्वारा जारी मूल जन्म प्रमाण पत्र।

For Balvatika-I: Original birth certificate issued by the Municipality/ Municipal Corporation.

अथवा/OR

- ii. ग्राम पंचायत के पंचायत कार्यालय/ग्राम मुखिया/सरपंच द्वारा जारी किया गया मूल जन्म प्रमाण पत्र संबंधित क्षेत्र के राजस्व/पंचायत अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर के साथ सत्यापित होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र के स्थान पर शपथ पत्र के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

The original birth certificate issued by Panchayat Office/Village Mukhia/Sarpanch of a Gram Panchayat endorsed under the seal and signature of the Revenue/ Panchayat Officer of the concerned area.

Admission will not be granted on the basis of an affidavit in lieu of a birth certificate.

- iii. कक्षा I - XII के लिए: कक्षा I - XII तक किसी भी कक्षा में प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को अपने पिछले विद्यालय से तैथ और मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत टीसी पर प्रधानाचार्य/उप-प्रधानाचार्य (यदि प्रधानाचार्य उपलब्ध न हो) के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि पिछले विद्यालय के जन्म प्रमाण पत्र में जन्म स्थान का उल्लेख नहीं है, तो बच्चे के जन्म स्थान का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। राज्य बोर्ड विद्यालय से स्थानांतरित होने वाले छात्रों के मामले में, टीसी पर संबंधित शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। सीबीएसई विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरित होने वाले छात्रों के मामले में, विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र में विद्यालय कोड और PEN नंबर और UDISE कोड के अलावा संबद्धता संख्या होनी चाहिए।

For Classes I to class XII: Those seeking admission to any class from classes I to XII will be required to submit a valid and original Transfer Certificate (TC) from the school last attended. The TC produced should be appended with the signature of the Principal/Vice Principal (if Principal is not available). If the place of birth is not indicated in the TC of the previous school, the proof of place of birth of the child is to be produced. In case of students migrating from State Board School, the TC needs to be countersigned by the Education Officer concerned. In case of students migrating from CBSE school, the transfer certificate should bear the school code and affiliation number apart from PEN number & UDISE code.

- iv. एनडी-1 श्रेणी के बच्चों के अभिभावकों को संबंधित अधिकारियों, जैसे राजस्व विभाग और प.ऊ.वि. इकाई से संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे।

Parents of wards who belong to ND-1 Category should submit relevant documents from the concerned authorities i.e. Revenue Department and DAE Unit

- v. वे माता-पिता जो सेवा के दौरान सेवानिवृत्त या अयोग्य घोषित हो गए हैं और अपने बच्चों के लिए एनडी-2 श्रेणी के तहत आवेदन कर रहे हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र या अयोग्यता प्रमाण पत्र या डीएई प्राधिकरण से डीएई में उनके रोजगार का समर्थन करने वाला प्रमाण पत्र, जैसा भी लागू हो, प्रस्तुत करना चाहिए।
 Parents who have superannuated or invalidated during service, and are applying for their wards under the ND-2 category, should submit a Retirement Certificate or Invalidation Certificate or Certificate from the DAE authority endorsing their employment in DAE, as applicable.
- vi. केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के उन कर्मचारियों के अभिभावकों को, जो डीएई गतिविधियों में संलग्न हैं और/या प.ज.वि. के लिए काम कर रहे हैं, एनडी-2 श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करते समय अपने पदस्थापन आदेश की एक प्रति नवीनतम वेतन पर्ची के साथ प्रस्तुत करनी होगी। विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र स्थानीय प.ज.वि. इकाई के प्रशासनिक अधिकारियों के हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद विद्यालय को जमा करना होगा।
 Parents of the wards of Central/State Govt. /PSU employees engaged in DAE activities and/or working for the DAE applying under ND-2 category have to furnish a copy of their posting order along with the latest salary slip. The duly filled in application form has to be submitted to the school after obtaining the counter signature of the administrative authorities of local DAE unit.
- vii. प.ज.वि. इकाई में कार्यरत प्रमुख ठेकेदारों के कर्मचारियों के आश्रितों के अभिभावक, जो एनडी-2 श्रेणी के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं, उन्हें अपने पदस्थापन आदेश की एक प्रति नवीनतम वेतन पर्ची के साथ प्रस्तुत करनी होगी। विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र स्थानीय प.ज.वि. इकाई के प्रशासनिक अधिकारियों के हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद विद्यालय को जमा करना होगा।
 Parents of wards of employees of the major contractors working for DAE units applying under ND-2 category have to furnish a copy of their posting order along with the latest salary slip. The duly filled in application form has to be submitted to the school after obtaining the counter signature of the administrative authorities of local DAE unit.
- viii. रक्षा कर्मियों/अर्धसैनिक कर्मियों के आश्रित या उनकी विधवाओं के आश्रित जो एनडी-2 के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं, उन्हें दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह बताया गया हो कि उनके माता-पिता रक्षा कर्मी हैं/थे।
 Wards of defence personnel/Para-military personnel or wards of their widows applying under ND-2 should submit the documentary proof stating that their parents are/were defence personnel.
- ix. एनडी-4 श्रेणी से संबंधित बच्चों के अभिभावकों को निवास प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
 Parents of wards who belong to ND-4 category should submit the proof of residence.
- x. उपरोक्त सभी श्रेणियों के गैर-डीएई अभिभावकों को प्रवेश आवेदन के साथ संबंधित नियोक्ता द्वारा जारी नवीनतम वेतन प्रमाण पत्र मूल रूप में या राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम आय प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।
 Non DAE parents of all the aforesaid categories have to furnish latest salary certificate issued by the employer concerned in original or latest income certificate in original issued by the Revenue authorities along with the admission application.
- xi. प्रवेश प्राप्त करने के तुरंत बाद, अभिभावकों से अनुरोध है कि वे संबंधित विद्यालय से मूल जन्म प्रमाण पत्र वापस ले लें और रिकॉर्ड के लिए जन्म प्रमाण पत्र की एक सत्यापित प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखें।
 Immediately after obtaining the admission, parents are requested to collect back the original birth certificate from the respective school while retaining an attested copy of birth certificate in the school for record.
- xii. प्रवेश के समय मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) जमा करना अनिवार्य है। यदि कोई छात्र विद्यालय छोड़ना चाहता है तो मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) वापस नहीं किया जाएगा।
 Original T.C. to be submitted at the time of taking admission. The original T.C. will not be returned if a student seeks to leave the school.
- xiii. जिस कक्षा की वार्षिक परीक्षा हुई थी, उस कक्षा के अंतिम रिपोर्ट कार्ड की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी।
 A self-attested photocopy of the last Report card of the class for which annual examination was given.
- xiv. जहां लागू हो, संबंधित आवंटन अनुभाग, प.ज.वि. इकाई द्वारा जारी आवासीय आवंटन पत्र की फोटोकॉपी। Photocopy of residential allotment letter issued by the concerned DAE Unit allotment section, wherever applicable.
- xv. यदि लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र। छात्र के नाम पर जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटोकॉपी जमा करनी होगी। माता-पिता का जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
 Caste certificate, if applicable. Attested photo copy of caste certificate in the name of the student has to be furnished. Caste certificate of the parent will not be considered.

नोट/Note:

- i. बहु विद्यालय केंद्र में, गैर-डीएई प्रवेश के प्रदान करने के लिए विद्यालय-वार आवेदन आमंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है और ऐसे गैर-डीएई छात्रों को क्षेत्र/आवास का कोई अधिकार क्षेत्र निर्धारित नहीं किया जाएगा।
 In a multiple school centre, there is no need to invite school-wise applications for grant of Non-DAE admissions and no jurisdiction of area/buildings to such Non-DAE students is to be stipulated.

- ii. गैर-डीएई छात्रों के माता-पिता से इस आशय का एक लिखित वचन पत्र प्राप्त किया जाना है कि (1) उनके बच्चे अपने अध्ययन के दौरान किसी भी समय एक ही केंद्र में एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरित होने के लिए उत्तरदायी हैं, और (2) विद्यालय द्वारा दी गई समय सारणी के भीतर किसी भी प्रकार की फीस देय/ भुगतान नहीं करने पर बिना किसी सूचना के बच्चे के नाम को रद्द करने का अधिकार है।

A written undertaking from the parents of Non-DAE students is to be obtained to the effect that (1) their children are liable to be transferred from one school to the other in the same centre at any time during the course of their study, and (2) the school has right to strike off name of the child without any notice if any kind of fees is due / not paid within the time schedule given by the school.

- iii. शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए गैर-डीएई श्रेणी के तहत बालवाटिका-द्वितीय और तृतीय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
No admission will be granted in Balvatika-II and III under Non-DAE category for academic year 2026-27.

.....